

न्यायालय-मधुसूदन जंघोल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

आपराधिक प्र.क.-864 / 13
संस्थित दिनांक-30.09.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र, बैहर
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

1. अनवर पिता बलदार खान, उम्र-50 साल,
निवासी चारटोला मलाजखंड थाना मलाजखंड जिला बालाघाट।
2. अशोक पिता चंदनलाल सिरसाज, उम्र-35 साल,
निवासी कोसमी थाना नवेगांव जिला बालाघाट।

.....अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 17/05/2018 को घोषित किया गया)

01- उपरोक्त नामांकित आरोपीगण पर दिनांक 28.10.2012 को समय रात्रि 4:45 बजे स्थान तन्नौर नदी के आगे आरक्षी केन्द्र, बैहर अंतर्गत में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति टी.वी.एस. विक्टर, चेचिस नंबर एन.3205एफ.ओ.99376 वाहन क्रमांक एम.पी.50.बी. अस्पष्ट नंबर 876 मोटर सायकिल की टंकी, क्लच, कटोरा, सायलेंशर, खुले एवं जंग लगा स्लेटी रंग का स्कूटर, चेचिस नंबर एम.पी. 50.बी.3021 सामने का मडगार्ड, पेनल टंकी, 03 नग लोहे के छर्रे, वाहन क्रमांक 709 क्रमांक एम.पी.50जी.0703 में रखा हुआ कबाड़ी का अन्य सामान लोहा, टिन, प्लास्टिक व अन्य घरेलू उपयोग की सामग्री को बेईमानीपूर्वक आपराधिक दुर्विनियोग कारित करने, इस प्रकार धारा 403/34 भादंवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02- प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 28.10.2012 को थाना बैहर का प्रधान आरक्षक जग्गुलाल बघाड़े कस्बा भ्रमण एवं रात्रि गश्त पर गये हुए थे। जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि वाहन 709 क्रमांक एम.पी.50जी.0703 में कबाड़ी का सामान एवं मोटर सायकिल तथा स्कूटर का चेचिस परिवहन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक करने प्रधान आरक्षक जग्गुलाल घटनास्थल पर गया, तो तन्नौर नदी के पास ढाबा के पास

मलाजखंड तरफ से उक्त वाहन आ रहा था, जिसे रोक कर ड्रायवर का नाम पूछा गया, जिसने अपना नाम अशोक सिरसाज होना बताया। वाहन को जांच करने पर उक्त वाहन के अंदर मोटर सायकिल और स्कूटर के पाटर्स खुले हुए एवं पुराने कबाड़ प्लास्टिक, टिन आदि रखे हुए थे। वाहन में चालक के साथ अनवर खान भी उपस्थित था, जिसके द्वारा उक्त कबाड़ के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, तब उक्त संपत्ति चोरी की संपत्ति का संदेह होने के आधार पर आरोपीगण से जप्त किया गया। मौके पर साक्षियों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा संपत्ति के स्वामित्व के बारे में पता नहीं चलने से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 403/34 भादंवि का इस्तगासा क्रमांक-1/12 प्रस्तुत किया गया।

04— आरोपीगण ने अपने अभिवाक तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि

1—क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.10.2012 को समय रात्रि 4:45 बजे स्थान तन्नौर नदी के आगे आरक्षी केन्द्र, बैहर अंतर्गत में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति टी.वी.एस. विक्टर, चेचिस नंबर एन.3205एफ.ओ.99376 वाहन क्रमांक एम.पी.50.बी. अस्पष्ट नंबर 876 मोटर सायकिल की टंकी, क्लच, कटोरा, सायलेंशर, खुले एवं जंग लगा स्लेटी रंग का स्कूटर, चेचिस नंबर एम.पी.50.बी.3021 सामने का मडगार्ड, पेनल टंकी, 03 नंग लोहे के छर्रे, वाहन क्रमांक 709 क्रमांक एम.पी.50जी.0703 में रखा हुआ कबाड़ी का अन्य सामान लोहा, टिन, प्लास्टिक व अन्य घरेलू उपयोग की सामग्री को बेईमानीपूर्वक आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया ?

// निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण //

विचारणीय प्रश्न क-1

06— जे.एल. बघाड़े अ.सा.05 ने बताया है कि वह दिनांक 28.10.2012 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक 709 वाहन क्रमांक एम.पी.जी.0703 में

खड़्डे एवं कबाड़ी के सामान के साथ टी.वी.एस. मोटर सायकिल एवं स्कूटर का चेचिस को बेचने के लिए परिवहन किया जा रहा है। वह सूचना की तस्दीक करने हमराह स्टाफ के साथ तन्नौर नदी ढाबा के पास गया, जहाँ उसे 709 वाहन मिला। उसने रोक कर ड्रायवर का नाम पूछा, तो उसने बालाघाट का होना बताया, तब वह गाड़ी को लेकर थाना आ गया। वाहन की जांच के दौरान टी.वी.एस.मोटर सायकिल, सुजुकी चेचिस नंबर क्रमांक एन.3205एफ.ओ.99376, वाहन क्रमांक एम.पी.50बी. अस्पष्ट 876 मोटर सायकिल की टंकी, क्लच, कटोरा, सायलेंशर, खुले एवं जंग लगा स्लेटी रंग का स्कूटर, चेचिस नंबर एम.पी.50.बी. 3021 सामने का मडगार्ड, पेनल टंकी, 03 नग लोहे के छर्रे, वाहन क्रमांक 709 क्रमांक एम.पी.50जी.0703 में रखा हुआ मिला था, तब चोरी का सामान संदेह होने के आधार पर उसने थाना बैहर के इश्तगासा क्रमांक 3/12 धारा-41(1-4) द.प्र.स., 379 भा.द.वि. के अंतर्गत उक्त संपत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं प्र.पी.03 तैयार किया था। मौके पर ही आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 तैयार किया था। विवेचना के दौरान साक्षी मोहन पटेल एवं बुधराम चौहान के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

07— बुधराम अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व बैहर की है। बैहर पुलिस ने उसके समक्ष संदेह के आधार पर कबाड़ी के वाहन को चेक किया था, जिसमें दो मोटर सायकिल खुली अवस्था में थी। उक्त सामान को पुलिस ने बैहर थाने में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था। आरोपी अशोक से वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था और आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 एवं 05 तैयार किया था। पुलिस ने उसका बयान भी लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.02 लगायत गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 में उसने हस्ताक्षर थाना परिसर में किया था, जबकि इश्तगासा प्र.पी.06 के अनुसार घटनास्थल मलाजखंड से बैहर रोड ढाबा के पास की है। घटनास्थल पर जप्ती की कार्यवाही न किये जाने का कोई कारण इस साक्षी ने नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने

पुलिस को जप्तशुदा वाहन का क्रमांक नहीं बताया था तथा पुलिस को कथन देते समय उसने जप्तशुदा वाहन में कौन-कौन से कबाड़ की सामग्री थी यह नहीं बताया था, जबकि यह साक्षी जप्ती का साक्षी है। ऐसे में इस साक्षी से इस बात की अपेक्षा थी कि जप्तशुदा वाहन में कौन-कौन सी कबाड़ी थी यह स्पष्ट किया जाये। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह पुलिस थाना बैहर के अंतर्गत होमगार्ड के पद पर पदस्थ है। इस प्रकार यह साक्षी पुलिस साक्षी है। घटनास्थल ढाबा के पास की है, किन्तु वहाँ पर उपस्थित किसी व्यक्ति को जप्ती का स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया।

08— मोहनलाल अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व बैहर की है। बैहर पुलिस ने उसके समक्ष संदेह के आधार पर कबाड़ी के वाहन को चेक किया था, जिसमें दो मोटर सायकिल खुली अवस्था में थी। उक्त सामान को पुलिस ने बैहर थाने में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था। आरोपी अशोक से वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था और आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 एवं 05 तैयार किया था। पुलिस ने उसका बयान भी लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.02 लगायत गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 में उसने हस्ताक्षर थाना परिसर में किया था, जबकि इशतगासा प्र.पी.06 के अनुसार घटनास्थल मलाजखंड से बैहर रोड ढाबा के पास की है। घटनास्थल पर जप्ती की कार्यवाही न किये जाने का कोई कारण इस साक्षी ने नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को जप्तशुदा वाहन का क्रमांक नहीं बताया था तथा पुलिस को कथन देते समय उसने जप्तशुदा वाहन में कौन-कौन से कबाड़ की सामग्री थी यह नहीं बताया था, जबकि यह साक्षी जप्ती का साक्षी है। ऐसे में इस साक्षी से इस बात की अपेक्षा थी कि जप्तशुदा वाहन में कौन-कौन सी कबाड़ी थी यह स्पष्ट किया जाये। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह पुलिस थाना बैहर के अंतर्गत होमगार्ड के पद पर पदस्थ है। इस प्रकार यह साक्षी पुलिस साक्षी है। घटनास्थल ढाबा के पास की है, किन्तु वहाँ पर उपस्थित किसी व्यक्ति को जप्ती का स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया।

09— चैनसिंह मरावी अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। पुलिस ने आकर उससे मोटर सायकिल के बारे में पूछताछ की थी। अगले दिन थाना बैहर में आकर उसने अपने वाहन के दस्तावेज पुलिस को दिखाये थे और बता दिया था कि उसका वाहन उसके पास है। इस प्रकार प्रकरण में कोई वाहन चोरी के संबंध में भी रिपोर्ट नहीं है और ऐसा साक्ष्य भी नहीं है कि जो कबाड़ का मोटर सायकिल और जंग लगा स्कूटर का पाटर्स जप्त किया गया, उसकी चोरी के संबंध में कहीं कोई रिपोर्ट की गई थी।

10— लखन भिमटे अ.सा.02 ने बताया है कि वह दिनांक 29.09.2013 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरोपीगण अनवर खान एवं अशोक के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 1/13 धारा-403/34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जो सामग्री आरोपीगण के ट्रक में मिली थी और जो स्कूटर मिला, उसकी चोरी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई। यह भी स्वीकार किया है कि जो सामग्री आरोपीगण से जप्त की गई थी वह कबाड़ की सामग्री थी। इस प्रकार जिस संपत्ति को आरोपीगण से जप्त होना बताया गया है वह चुराई गई संपत्ति थी ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। जप्तशुदा संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के आधिपत्य एवं स्वामित्व की थी ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। जबकि अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि जप्तशुदा संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की थी, जिसका आरोपीगण द्वारा दुर्विनियोग किया गया।

11— जे.एल. बघाड़े अ.सा.05 ने परिवाद में बताया है कि प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के स्वामी का पता न चलने की स्थिति में उसने आरोपीगण के विरुद्ध धारा 403 भादंवि का परिवाद पेश किया है। अर्थात् संपत्ति के स्वामी का पता न चलने पर यह इस्तगासा पेश किया है तथा इसी साक्षी के द्वारा प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही मशरूका जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार करना, गिरफ्तारी करने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने की संपूर्ण कार्यवाही की गयी है। घटनास्थल तन्नौर नदी के आगे ढाबा का होना बताया गया है, किन्तु उक्त स्थान पर जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि जप्ती की कार्यवाही थाना

परिसर में किया गया है। मौके पर जप्ती की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका कोई कारण विवेचना अधिकारी द्वारा नहीं बताया गया है। घटनास्थल पर ढाबे के पास स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध हो सकते थे, किन्तु प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। प्रकरण के दोनों जप्ती के साक्षी पुलिस साक्षी होमगार्ड है तथा उन्होंने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस को उन्होंने वाहन में कौन सी कबाड़ की सामग्री थी यह नहीं बताया था तथा विवेचक जे.एल. बघाड़े अ.सा.05 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जो मोटर सायकिल और स्कूटर जप्त करना बताया है उसकी चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं थी। वाहन में कबाड़ का सामान भरा हुआ था तथा अत्यधिक पुराना कबाड़ था। जप्तशुदा गाड़ी किसके नाम पर पंजीकृत थी उसके संबंध में भी उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा यह स्वीकार किया है कि मात्र संदेह के आधार पर उसने इस्तगासा तैयार किया है, जबकि अभियोजन को संदेह से परे अपना मामला साबित करना होता है और विवेचना अधिकारी ने जप्तशुदा संपत्ति के वास्तविक स्वामी के तलाश किये बिना मात्र संदेह के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध मामला निर्मित किया है, जिससे आरोपी अशोक और अनवर खान के विरुद्ध धारा-403/34 भादंवि का अपराध किये जाने का तथ्य संदेहास्पद हो जाता है।

12— मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ एम.पी., 2006 (3) म.प्र.वी.नो. 68 म.प्र., 2006 सी.आर.एल.जे. 1368 के मामले में यह अवधारित किया गया है कि
In the case of Ramaswamy Nadar v. The State of Madras, AIR 1958 SC 56 : (1958 Cri LJ 228), in para-7 the Supreme Court has laid down the law when an offence under Section 403, IPC is made out, which reads thus :
"In order to prove an offence under S. 403, Indian Penal Code, the prosecution has to prove that the property, in this case, the net amount of ninety-six thousand odd rupees, was the property of the prosecution witnesses 1 to 3 and others, and (2) that the accused

misappropriated that sum or converted it to his own use, and (3) that he did so dishonestly. In our opinion, none of these constituent elements of the offence can be categorically asserted to have been made out." The case of present applicant is rather on better footing. In the present case, as per own case of the prosecution, no person is coming forward to claim the impugned electric wire of his own. Even the Electricity Department is not claiming the said wire and is denying any theft. Thus, the view of this Court is that prima facie there is no material in order to hold that the applicant is guilty of any offence under Section 403, IPC.

13— धारा-403 के मामले को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन को यह बताना चाहिए कि जप्तशुदा संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्ति थी, जिसे अभियुक्तगण ने स्वयं के उपयोग के लिए दुर्विनियोग किया तथा ऐसा उसने बेईमानीपूर्वक किया था। जे.एल. बघाड़े अ.सा.05 ने अपने इस्तगासा में बताया है कि प्रकरण में विवेचना के दौरान जप्तशुदा संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का होना नहीं पाया था। जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में थाने में चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। वर्तमान मामले में अभियोजन स्वयं के मामले के अनुसार जप्तशुदा संपत्ति को स्वयं का होने के संबंध में किसी ने दावा नहीं किया है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जप्तशुदा संपत्ति की चोरी के संबंध में रिपोर्ट नहीं किया है। जप्तशुदा संपत्ति के स्वामी के ज्ञात नहीं होने पर यह इस्तगासा पेश किया गया है। स्वयं विवेचक जे.एल. बघाड़े अ.सा.05 ने यह स्वीकार किया है कि संदेह के आधार पर उसने इस्तगासा पेश किया था। ऐसी स्थिति में धारा-403 भा.दं.वि. का आवश्यक तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रामास्वामी नादर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु ए.आई.आर. 1958 सु.को. 56 एवं मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ एम. पी., 2006 (3) म.प्र.वी.नो. 68 म.प्र., 2006 सी.आर.एल.जे. 1368 अवलोकनीय है।

जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो वहाँ संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ़ एम.पी. बनाम सुनील जैन, 2007 (3) म.प्र.लॉ.ज. 372 म.प्र. अवलोकनीय है।

14— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 28.10.2012 को समय रात्रि 4:45 बजे स्थान तन्नौर नदी के आगे आरक्षी केन्द्र, बैहर अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति टी.वी.एस. विक्टर, चेचिस नंबर एन.3205.एफ.ओ.99376 वाहन क्रमांक एम.पी.50.बी. अस्पष्ट नंबर 876 मोटर सायकिल की टंकी, क्लच, कटोरा, सायलेंशर, खुले एवं जंग लगा स्लेटी रंग का स्कूटर, चेचिस नंबर एम.पी.50.बी. 3021 सामने का मडगार्ड, पेनल टंकी, 03 नग लोहे के छर्रे, वाहन क्रमांक 709 क्रमांक एम.पी.50जी.0703 में रखा हुआ कबाड़ी का अन्य सामान लोहा, टिन, प्लास्टिक व अन्य घरेलू उपयोग की सामग्री को बेईमानीपूर्वक आपराधिक दुर्विनियोग कारित किया। फलतः आरोपीगण को धारा 403/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति टी.वी.एस. विक्टर, चेचिस नंबर एन. 3205एफ.ओ.99376 वाहन क्रमांक एम.पी.50.बी. अस्पष्ट नंबर 876 मोटर सायकिल की टंकी, क्लच कटोरा, सायलेंशर, खुले एवं जंग लगा स्लेटी रंग का स्कूटर, चेचिस नंबर एम.पी.50.बी.3021 सामने का मडगार्ड, पेनल टंकी, 03 नग लोहे के छर्रे एवं अन्य कबाड़ का सामान लोहा, टिन, प्लास्टिक व अन्य घरेलू उपयोग की सामग्री अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर राजसात किया जावे। जप्तशुदा वाहन 709 क्रमांक एम.पी.50जी.0703 आवेदक अशोक सिरसाज पिता चंदनलाल, उम्र-30 वर्ष निवासी वार्ड नंबर-8 कोसमी बालाघाट जिला बालाघाट की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में उन्मोचित किया जावे।

17— आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दंप्रसं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपीगण दिनांक 29.10.2012 से दिनांक 31.10.2012 तक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देश पर टंकित किया।
दिनांकित कर, उदघोषित किया गया।

सही /—
मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही /—
मधुसूदन जंघेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु
शाय / विधिक उपयोग